# PHANET

# Mahatma Gandhi Montessori Senior Secondary

# Dholours Road, Firozabad

## **Guidelines for Students**

- 1. Strict regularity, implicit obedience, courtesy in speech and conduct, cleanliness of dress and person are expected from every pupil. Pupils must strictly conform to the regulations laid down in this regard. 1. हर शिष्य से सख्त नियमितता, निहित आज्ञाकारिता, वाणी और आचरण में शिष्टाचार, पोशाक और व्यक्ति की स्वच्छता की अपेक्षा की जाती है। विद्यार्थियों को इस संबंध में निर्धारित नियमों का सख्ती से पालन करना चाहिए।
- 2. The pupils are responsible to the School authorities not only for their conduct in the school but also for their general behavior outside. Any reported objectionable conduct out of the school on the part of the pupils makes them liable for disciplinary action. छात्र न केवल स्कूल में अपने आचरण के लिए बल्कि स्कूल के बाहर अपने सामान्य व्यवहार के लिए भी स्कूल अधिकारियों के प्रति उत्तरदायी होते हैं। विद्यार्थियों की ओर से स्कूल के बाहर किसी भी तरह के आपत्तिजनक आचरण की सूचना उन्हें अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए उत्तरदायी बनाती है
- 3. The wearing of the school uniform is obligatory. Violation of this is a sufficient reason for the expulsion of a student from the school. No student will be allowed to the school without the prescribed uniform. स्कूल यूनिफॉर्म पहनना अनिवार्य है। इसका उल्लंघन स्कूल से छात्र के निष्कासन का पर्याप्त कारण है। बिना निर्धारित गणवेश के किसी भी छात्र को विद्यालय में प्रवेश नहीं दिया जायेगा।
- 4. No student should possess mobile phone, CD, Pen Drive or any other electronic items and jewellery or valuables whatsoever in the school campus, the school shall not be responsible if these are lost or stolen. किसी भी छात्र के पास स्कूल परिसर में मोबाइल फोन, सीडी, पेन ड्राइव या कोई अन्य इलेक्ट्रॉनिक सामान और आभूषण या कीमती सामान नहीं होना चाहिए, अगर ये खो जाते हैं या चोरी हो जाते हैं तो स्कूल जिम्मेदार नहीं होगा।
- 5. No collection for any purpose, whatsoever, is to be made without the prior permission of the Principal. प्राचार्य की पूर्व अनुमित के बिना किसी भी प्रयोजन के लिए कोई संग्रह नहीं किया जा सकता है।
- 6. Presents to the members of the staff in cash or any kind not allowed. कर्मचारियों के सदस्यों को नकद या किसी भी प्रकार का उपहार देने की अनुमित नहीं है।
- 7. The date of birth of a student once entered will not be changed. The Parent / Guardian will have to sign an undertaking to this effect. एक बार दर्ज की गई छात्र की जन्म तिथि में बदलाव नहीं किया जाएगा। इस आशय के माता-पत्र पर हस्ताक्षर करने होंगे।-अभिभावक को एक शपथ/पिता
- 8. The name of a student who does not rejoin within three days after commencement of a term shall be struck off the rolls unless leave has been previously applied for and the sanction obtained from the head of the institution. एक छात्र का नाम जो एक अवधि के शुरू होने के तीन दिनों के भीतर फिर से शामिल नहीं होता है, जब तक कि छुट्टी के लिए पहले आवेदन नहीं किया जाता है और संस्थान के प्रमुख से स्वीकृति प्राप्त नहीं की जाती है।
- 9. Late comers and absentees from school will not be admitted to the class without the Principal's written permission. [देर से आने वाले एवं विद्यालय से अनुपस्थित रहने वाले को प्राचार्य की लिखित अनुमित के बिना कक्षा में प्रवेश नहीं दिया जायेगा।
- 10. School gate will be closed with the first bell for safety reasons. The entry thereafter will be restricted. [सुरक्षा कारणों से पहली घंटी के साथ स्कूल का गेट बंद कर दिया जाएगा। इसके बाद प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा।
- 11. No leave of absence is granted, except on written application from parent and that only for serious reasons. The school accepts no responsibility, if a child is obliged to return home during school hours for noncompliance of any rules. Mere sending of an application is not sufficient; the sanction of leave must be obtained. मातापिता के लिखित आवेदन और वह भी केवल गंभीर कारणों को छो- ड़कर, अनुपस्थिति की छुट्टी नहीं दी जाती है। यदि किसी बच्चे को किसी भी नियम का पालन न करने पर स्कूल के समय के दौरान घर लौटने के लिए बाध्य किया जाता है, तो स्कूल कोई जिम्मेदारी स्वीकार नहीं करता है। केवल आवेदन भेजना पर्याप्त नहीं है; अवकाश की स्वीकृति प्राप्त करनी होगी।
- 12. The pupils are not allowed to visit the Staff Room. [विद्यार्थियों को स्टाफ रूम में जाने की अनमति नहीं है। 1

- 13. Fines may be imposed by the Principal for irregularity, indiscipline or damage to the school property. प्रिंसिपल द्वारा अनियमितता, अनुशासनहीनता या स्कूल की संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के लिए जुर्माना लगाया जा सकता है।
- 14. The pupils are not allowed to leave the school premises during the school hours. [विद्यार्थियों को स्कूल के समय के दौरान स्कल परिसर से बाहर जाने की अनुमित नहीं है।
- 15. The school authorities may exercise their right of not readmitting the students who fail to return within three days after the vacations. [स्कूल के अधिकारी छुट्टियों के बाद तीन दिनों के भीतर लौटने में विफल रहने वाले छात्रों को दोबारा प्रवेश नहीं देने के अपने अधिकार का प्रयोग कर सकते हैं।
- 16. Parents and guardians are, therefore, particularly requested to co-operate with the school authorities by sending their children back to the school on the re-opening date unless a written permission for extension of the leave has previously been obtained. Such permission, however, will only be granted for very grave reasons. इसलिए, मातार अभिभावकों से विशेष रूप से अनुरोध किया जाता है कि वे अपने बच्चों को फिर से खोलने की तारीख पिता औपर स्कूल वापस भेजकर स्कूल के अधिकारियों के साथ सहयोग करें, जब तक कि छुट्टी के विस्तार के लिए लिखित अनुमित पहले प्राप्त नहीं की गई हो। हालाँकि, ऐसी अनुमित केवल बहुत गंभीर कारणों से दी जाएगी।
- 17. In case of illness, a medical certificate must be produced within three days of absence of the student. The school accepts the medical certificates of doctors in the government service, not below the rank of chief physician or surgeon only. In case of doubt, the school may insist on the child being examined by the civil surgeon or the school doctor. [बीमारी के मामले में, छात्र की अनुपस्थिति के तीन दिनों के भीतर एक चिकित्सा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। स्कूल केवल मुख्य चिकित्सक या सर्जन के पद से कम नहीं, सरकारी सेवा में डॉक्टरों के चिकित्सा प्रमाण पत्र स्वीकार करता है। संदेह की स्थिति में, स्कूल सिविल सर्जन या स्कूल डॉक्टर द्वारा बच्चे की जांच कराने पर जोर दे सकता है।
- 18. If a student continues to be absent for a month, without the previous written permission of the Principal, his / her name will be struck off the roll, and in case of his / her rejoining, the re- admission fee will be charged. यदि कोई छात्र प्राचार्य की पूर्व लिखित अनुमित के बिना एक माह तक अनुपस्थित रहता है तो उसका नाम सूची से काट दिया जायेगा तथा उसके पुनः प्रवेश लेने पर पुनः प्रवेश शुल्क लिया जायेगा।
- 19. regular attendance, frequent failure to obtain good in conduct, habitual lack of interest and prolonged or intermittent illness, behavior detrimental to the discipline and the moral tone of the school, repeated failure in tests or examinations and insubordination are sufficient reasons, singly or together, to expel a student guilty of such laxity or misdemeanor, even without any notice of warning. नियमित उपस्थिति, आचरण में अच्छा प्राप्त करने में बारबार असफलता-, रुचि की आदतन कमी और लंबे समय तक या रुकरुक कर होने वाली बीमारी-, अनुशासन के लिए हानिकारक व्यवहार और स्कूल के नैतिक स्वर, परीक्षणों या परीक्षाओं में बारबार असफलता और अवज्ञा पर्याप्त क-ारण हैं, अकेले या एक साथ, ऐसी ढिलाई या दराचार के दोषी छात्र को बिना किसी चेतावनी के भी निष्कासित करना।
- 20. The school authorities do not hold themselves responsible for the student's lose of money, books, articles or clothing etc. The students are expected to look after their own belongings. छात्र के पैसे, किताबें, लेख या कपड़े आदि के नुकसान के लिए स्कूल के अधिकारी खुद को जिम्मेदार नहीं मानते हैं। छात्रों से अपेक्षा की जाती है कि वे अपने सामान की देखभाल खुद करें।
- 21. Articles found in the school are to be handed over to the principal' office. [स्कूल में पाए गए सामान को प्रिंसिपल के कार्यालय को सौंप दिया जाना है।]
- 22. He principal reserves the right to waive aside any of the rules contained in the prospectus / calendar without assigning any reason. [प्रिंसिपल बिना कोई कारण बताए प्रॉस्पेक्टस में निहित किसी भी नियम को अलग करने कैलेंडर / का अधिकार सुरक्षित रखता है। ]
- 23. The interpretation of any rule in the prospectus rests solely and entirely with the governing body of this school. Their interpretation and decision is final. [प्रॉस्पेक्टस में किसी भी नियम की व्याख्या पूरी तरह से इस स्कूल के शासी निकाय के पास है। उनकी व्याख्या और निर्णय अंतिम है। ]
- 24. For disobedience to the clear expressed orders of the Principal, punishment laid down is dismissal without any previous warning. The same punishment is laid down for moral turpitude, writing on the walls and roads and defiance of the authorities. [प्रधानाचार्य के स्पष्ट व्यक्त आदेशों की अवज्ञा के लिए निर्धारित दंड बिना किस्री पूर्व

चेतावनी के बर्खास्तगी है। नैतिक अधमता, दीवारों और सड़कों पर लिखने और अधिकारियों की अवज्ञा के लिए समान सजा निर्धारित की गई है। ]

- 25. students who are dirty in dress, or without uniform will not be permitted to sit in the class. [गंदे कपड़े या बिना यूनिफॉर्म वाले छात्रों को कक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी। ]
- 26. No pupil will be admitted without transfer certificate from the last school attended and in no case shall a scholar e permitted to attend a class pending formal admission. [पिछले स्कूल से स्थानांतरण प्रमाण पत्र के बिना किसी भी छात्र को प्रवेश नहीं दिया जाएगा और किसी भी मामले में किसी छात्र को औपचारिक प्रवेश लंबित कक्षा में भाग लेने की अनुमित नहीं दी जाएगी। ]
- 27. If a pupil comes from an unrecognized school, his admission can be had only after the inspector of schools countersigns his transfer certificates. [यदि कोई छात्र किसी गैर मान्यता प्राप्त स्कूल से आता है, तो उसका प्रवेश तभी हो सकता है जब स्कूल के निरीक्षक उसके स्थानांतरण प्रमाणपत्रों पर प्रतिहस्ताक्षर करें। ]
- 28. The leaving certificate of a pupil coming from a school outside Uttar Pradesh must be countersigned by the educational authorities of the district, in which the school is situated. Please send the leaving certificate in good time to the Principal of the former school, for the counter signature, as this is required to finalize admission. [उत्तर प्रदेश के बाहर के स्कूल से आने वाले छात्र का छोड़ने का प्रमाण पत्र उस जिले के शैक्षिक अधिकारियों द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित होना चाहिए, जिसमें स्कूल स्थित है। कृपया प्रतिहस्ताक्षर के लिए पूर्व विद्यालय के प्रधानाचार्य को अच्छे समय में छोड़ने का प्रमाण पत्र भेजें, क्योंकि यह प्रवेश को अंतिम रूप देने के लिए आवश्यक है।
- 29. Every application for a leaving certificate shall be made in writing by the parent or guardian [छोड़ने के प्रमाणपत्र के लिए प्रत्येक आवेदन मातापिता या अभिभावक द्वारा लिखित रूप में किया जाएगा- ]
- 30. If any kind of information is given from the school regarding the student, then it is mandatory for you to contact the school within two days. [यदि विद्यालय से विद्यार्थी के सन्दर्भ में किसी प्रकार की सुचना दी जाती हैं तो दो दिन के भीतर आपको स्कूल से संपर्क करना अनिवार्य हैं|]
- 31. Your presence in the parent meeting organized by the school is mandatory. [स्कूल द्वारा आयोजित की जाने वाली पेरेंट्स मीटिंग में आपकी उपस्थिति अनिवार्य हैं | ]

### **Registration Instructions**

Prepare your registration package. Your registration package should contain the followingitems:

- 1. A completed registration form.
- 2. Child's birth certificate (only photocopy) Self attested copy
- 3. Passport size photo of the child (3)
- 4. Passport size photo of the Parent's (2)
- 5. Parent's ID proof (only photocopy) Self attested copy
- 6. SC/ST/OBC Certificate (if applicable) Self attested copy
- 7. For L KG to Class IX copy of Report Card & T.C. also of present class.

Name of the Father / Guardian :	Name of the Mother:
Signature :	Signature :